

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक-20/03/2020

क्रमांक-01/तक/2020, विरम स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार की विभिन्न एडवाइजरी द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 को वैश्विक आपदा घोषित होने तथा उसके बचाव को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय किया जाता है कि दस्तावेजों के पंजीयन के लिए यदि पक्षकारी द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रावधानों के अंतर्गत दस्तावेजों को निष्पादित कर उस पर सम्पदा के लक्ष्य से समुचित मुद्रांक शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत दाय पंजीयन फीस का भुगतान कर 31 मार्च 2020 समय 23.59 तक कर लिया जाता है तो, दस्तावेज में उपर्युक्त तथ्यों एवं मेटा डेटा का वर्णन समान रहने के अध्याधीन रहते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष 2020-2021 की दर उक्त दस्तावेजों पर प्रभावी नहीं होगी एवं संपत्ति का मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क, उपकर तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क आदि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुरूप ही मान्य होगा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वैश्विक आपदा कोरोना वायरस COVID-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेजों का पंजीयन का कार्य (जिसमें भौतिक उपस्थिति आवश्यक होती है) 31 मार्च 2020 तक प्रदेश के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में पक्षकारी उपस्थित कराने/बायोमेट्रिक/अंगूठा/हस्ताक्षर आदि (Public Interface) बंद रखा जाये।

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक तथा जिला पंजीयक यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीयन कार्यालयों में उक्तानुसार निर्देशों का पालन हो।

महानिरीक्षक (पंजीयन)
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/887/ तक/2020

भोपाल, दिनांक-20/03/2020

पतितिसि

1. मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें।
2. अपर मुख्य सचिव वा. कर विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें।
3. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें।
5. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें।
6. समस्त सहायीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें।
7. समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश की ओर सूचनायें।
8. समस्त परिशेरीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक (पंजीयन)
मध्यप्रदेश